राष्ट्रीय रोजगार गॉरण्टी जागरूकता संवाद यात्रा

21 - 30 March 2007

सहयोग – कासा एवम् मध्यांचल फोरम

आयोजक

कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट

बी.सी.राय गुप्ता की चाल भटेरा चौकी
बालाघाट 481001
फोन नं. 07632 248585 मो . 9425822228

जिला	:	बालाघाट
विकासखंड	:	बैहर
पंचायतें	:	परसाटोला, गोहारा, आमगॉव, पिपरिया, किनारदा, भंडेरी, जत्ता, मेंडकी, करवाही, सेरपार

संवाद यात्रा समूह

- आनंद भारद्वाज
- हेमंत श्रीवास
- धानेश्वर साकुरे
- प्रीतम रजक
- प्रतिमा सोनी
- शेख वाहिद
- संदीप तिवारी
- जीतेंद्र तिवारी
- राकेश जोलदेव
- लखन टेंभरे
- सोमनाथ चक्रधर
- करेंद्र बंसोड
- मोरिना अल्बर्ट
- निशा अवधिया

विशेष सहयोग

- ममता बैस
- सपना हरिनखेडे
- मीनाक्षी कटरे (एस.एम.एस.)
- दारासिंह राहंगडाले (एस.एम.एस.)

राष्ट्रीय रोजगार ग्यारंटी संवाद यात्रा के आयोजन में संस्था के आई.एन.एच.पी., पेक्स और एड्स परियोजना के स्टॉफ ने अपना योगदान दिया और अभियान को प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

दिनांक : 21/03/07

स्थान : भण्डेरी

प्रारंभ : आज दिनांक 21–3–07 को ग्राम पंचायत भण्डेरी में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा रैली का भ्रमण पूरे गॉव मे किया गया। इसके साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा ग्रामवासियों को पर्चा बॉटा गया व गॉव के मुख्य जगहों की दीवारो पर योजना से संबंधित नारे लेखन का कार्य किया गया । साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा नारों का उद्घोष किया गया। रैली के दौरान योजना से संबंधित गीत भी सुनवाये गये।

सहयोग : इस रैली में पेक्स टीम ,स्व सहायता समूह कि महिलाओ, पंच, यूथ विजन और ग्राम के बुजुर्ग महिला एवं पुरूषों का सहयोग सराहनीय रहा।

गतिविधियॉ :

- सर्वप्रथम रथ का स्वागत समूह की महिलाओं द्वारा आरती उतार कर व सभी को तिलक लगा कर स्वागत किया गया ।
- स्थानिय बैल गाडी के माध्यम से विभिन्न चार्ट पोस्टर का प्रस्तुतीकरण स्टॉल तथा रोजगार गारंटी गीतों का प्रस्तुतीकरण किया गया ।
- गॉव के मुख्य जगहों पर पोस्टर चिपकाये गये तथा नारे लिखे गये ।
- जॉब कार्ड का अवलोकन किया गया ।
- रैली पूरे गॉव का भ्रमण करने के पश्चात एक सभा के रूप में बदल गई । जहॉ रोजगार गारंटी कानून के बारे में , इस कानून के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओ ,ग्राम सभा तथा लोगों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई । हितग्राहियों से चर्चा के दौरान उनकी समस्याओं तथा उसके समाधानों पर चर्चा की गई ।
- लोगों से चर्चा करने के दौरान फार्मेट भी भरे गये ।

अनुभव :

फार्मेट भरने के पश्चात हस्ताक्षर की बात पर शांति स्व सहायता समूह की शांति बाई सभी महिलाओं को अंगूठा न लगाकर हस्ताक्षर हेतू साक्षर होने की बात कही। ऐसे ही उन्होने बताया कि पंचायत में तीन बार आवेदन किया किंतु उन्हे सिर्फ 7 दिन का ही रोजगार प्राप्त हुआ । पंचायत के लोग हमेशा कहते है – समूह के लोग ये क्या कुछ तो भी करते है हम कहॉ से तुमको बेरोजगारी भत्ता देंगें ।

दिनांक : 22/03/07

स्थान : परसाटोला

प्रारंभ : अभीयान रथ के साथ अभियान का आरंभ हीरापुर गॉव से समूह की महिलाओं द्वारा बैलो को टीका अगरबत्ती जलाकर और नारे लगाकर किया गया। यात्रा की शुरूआत 2 बजे से हुई यात्रा के पहले सी डी सी आफिस में बैठकर कार्ययोजना बनाई गई थी । नियोजित कार्यक्रम में ही दिन भर की पूरी गतिविधियॉ हुई ।

सहयोग : स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्राम के गणमान्य नागरिक , तथा पेक्स टीम का सहयोग मिला रैली के दौरान नारे और महिलाओं पुरूषो को एकत्रित करने में अहम भूमिका निभाई।

गतिविधियॉ :

- यात्रा का आरंभ अभियान रथ के बैलों को समूह की महिलाओं द्वारा टीका लगाकर किया गया जिसकी तैयारी उन्होने कर रखी थी ।
- अभियान के दौरान समूह की महिलाओं , बुर्जुगजनों के साथ सर्वप्रथम रैली कर उस स्थान पर गये जहां पर रोजगार गॉरण्टी के तहत काम हो रहा था।

- जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको एकत्र कर रोजगार गॉरण्टी कानून के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, चर्चा के दौरान उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया, एवं अपने अधिकारों के प्रयोग करने के लिये प्रेरित किया गया ।
- कार्य स्थल से आने के पश्चात समूचे गॉव का रैली के माध्यम से जागरूकता संबंधी जानकारी दी गई, रैली में माईक और कैसेट द्वारा योजना के संदर्भ में जानकारी दी जा रही थी।
- सहयोग द्वारा बैठक के दौरान चर्चा करते हुए सारे फार्मेट भरे गये ।
- जो हितग्राही कार्यस्थल पर कार्य कर रहे थे उन्हें इकट्ठा कर रोजगार गारंटी कानून के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, और उन्हें उनके अधिकारों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया तथा उनके द्वारा किये गये प्रश्नों और समस्याओं का यथासंभव समाधान बताया गया, साथ ही वहॉ फारमेट भी भरे गये ।
- सभी उपस्थित हितग्राहियो के जॉब कार्ड की स्थिती की जॉच की गई ।
- कार्य स्थल से आने के पश्चात पूरे हीरापुर ग्राम का रैली बनाकर भ्रमण किया गया जिसमें वहॉ के ग्रामवासी भी सम्मिलित हुए।
- रैली के दौरान माईक और गीतों द्वारा रोजगार गारंटी कानून की जानकारी दी जा रही थी ।
- अभियान के दौरान लोगों से गृहभेंट करके उन्हे पर्चे बांटे गये और गॉव के मुख्य जगहों पर पोस्टर चिपकाये और नारे लिखे गये ।
- रोजगार के लिए आवेदन कैसे करे उन्हें आवेदन का प्रारूप बताकर उन्हें बताया गया, यदि पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही होती तो सीईओ या जिला पंचायत में आवेदन लगाने की जानकारी दी गई ।
- जिन्होने पहले कार्य किया है उन्हे इसकी पूर्ण जानकारी दी गई एवं इसको पंचायत का काम नही बल्कि कानून बताया गया।
- बेरोजगारी भत्ता के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि भत्ता कितने दिनों बाद मिलता है और इसे आवेदन देकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है ं।

अनुभव :

- लगभग 80 प्रतिशत महिलायें कार्यस्थल पर कार्य कर रही थी।
- कार्य स्थल पर मस्टरोल नही भरा जा रहा था।
- डबरा – डबरी का कार्य होने के बाद आज तक भी उनमें से कुछ लोगों को नही मिल पाया।
- लोगों को कानून के तहत बेरोजगारी भत्ता अतिरिक्त मजदूरी दर और भुगतान न मिलने पर ब्याज की राशि की जानकारी का अभाव था ।
- एक विकलांग महिला द्वारा काम मॉगने पर उसे कार्यस्थल से भगा दिया गया ।
- नानी धुर्वे द्वारा पंचायत में रोजगार को लेकर आवज़ उठाने पर ग्राम के सरपंच द्वारा उसे डाटा गया ।

इस दौरान समूदाय से कुछ प्रश्न भी निकलकर आये जिनका उत्तर दिया गया जैसे :

- अगर अकेले व्यक्ति को काम दिया जाये तो संयुक्त परिवार में किस तरह की व्यवस्था होगी ।
- उसके परिवार के अन्य लोगों को कैसे रोजगार मिल सकेगा ।
- बीजे सिंग ने कहा कि उसके चार बच्चे थे पृथक परिवार होने के बाद दूसरे लड़के के परिवार के लिये अलग जॉब कार्ड बनाने के लिये क्या करना होगा?
- सरपंच सचिव द्वारा घर – घर जाकर बाताया गया कि रोगायो. का काम हो रहा है।

दिनांक : 23/03/07

स्थान : पंचायत करवाही बरवाही

प्रारंभ : गरीब रथ की शुरूआत में ग्राम की महिलाओं के द्वारा तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत किया गया एवं रथ में संकलित सभी सदस्यों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया , यात्रा की शुरूआत 2 बजे से सही समय से शुरू हुई।

सहयोग : इस रोजगार गारंटी योजना रथ यात्रा में पेक्स टीम , स्वसहायता समूह ग्राम के विकलांग मेहतर महिलाओं का सहयोग सराहनीय रहा एवं इस रैली में सरपंच ने भी अपनी उपस्थिति दी ।

गतिविधियॉ :

- सर्वप्रथम रथ का स्वागत समूह की महिलाओं द्वारा आरती उतार कर व सभी को तिलक लगा कर स्वागत किया गया जिसकी तैयारी उन्होने करके रखी थी ।
- अभियान के दौरान रैली समस्त ग्राम के नागरिकों के साथ भ्रमण करती हुई लाउड स्पीकर से जानकारी देते हुए नारे लगाते हुए । एक आमसभा में परिवर्तित हुआ ।
- गॉव के मुख्य जगहों पर पोस्टर चिपकाये गये तथा नारे लिखे गये और गृह भेंट कर पॉम्प्लेट बॉटा गया।
- टीम द्वारा आमसभा के दौरान फार्मेट भी भरे गये ।

आम सभा में निकले मुद्दे :

- 1 वर्ष पूर्व 7 दिन तक काम मिला जिसमें मजदूरी 52 रूपये दी गई, उसके बाद कभी भी काम नहीं मिला।
- सरपंच द्वारा गॉव के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

- काम के लिए लोगों के द्वारा आवेदन नहीं लगाया गया लोगों को आवेदन एवं बेरोजगारी भत्ते की जानकारी नहीं थी।
- 1 वर्ष हेा गये है मजदूरी नहीं मिली है।
- पंचायत भवन हर दिन बंद रहता है।
- ग्राम सभा में लोगेां की उपस्थिती नही होती।

सरपंच द्वारा दी गई जानकारी श्रीमति अनीता कुमरे :

- हमारे पास पैसा नहीं है।
- सरपंच के खिलाफ 6 माह पूर्व अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था।
- अभी तक पूर्व सरपंच के द्वारा चार्ज नही लिया गया है।

परिणाम :

- लोगों को रोजगार गारंटी कानून के विषय में विस्तार से जानकारी मिली,
- ग्राम सभा 14 तारिख को बैठाने को कहा गया जिसमें ग्राम के विकास के लिए आवश्यक कार्यो के विषय में चर्चा करेगें,
- दैनिक मजदूरी प्राप्त हुई जो कि ग्रामीणों को अभी तक नहीं थी,
- ग्रामिणों को ग्राम सभा के आयोजन की प्रक्रिया का पता चला,
- विकलांग श्री मेहतर पिता – भुड्डा को विकलांग के लिए रोजगार गारंटी योजना में आरक्षण के संबंध पर जानकारी दी गई।
- संवाद यात्रा के बाद पंचायत में काम चालु किया गया भुतपूर्व द्वारा अभी तक नये सरपंच को कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया।
- ग्राम सभा के माध्यम से पुराने रूके पैसों को लेने के लिए एक रूपता देखने को मिलता है।

दिनांक : 24/03/07

स्थान :— जत्ता

प्रारंभ : आज दिनांक 24—3—07 को ग्राम पंचायत जत्ता में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा रैली का भ्रमण पुरे गॉव मे किया गया। इसके साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा ग्रामवासियों को पर्चा बॉटा गया व गॉव के मुख्य जगहो की दिवारो पर योजना से संबंधित नारे लेखन का कार्य किया गया । साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा नारों का उद्‌घोष किया गया। रैली के दौरान योजना से संबंधित गीत भी सुनवाये गये।

सहयोग : इस रैली में पेक्स टीम , स्व सहायता समूह कि महिलाओ , पंच , सरपंच और ग्राम के बुजुर्ग महिला एवं पुरूष का सहयोग सराहनीय रहा।

गतिविधियॉ :

- सर्वप्रथम रथ का स्वागत समूह की महिलाओं द्वारा आरती उतार कर व सभी को तिलक लगा कर स्वागत किया गया ।
- स्थानिय बैल गाडी के माध्यम से विभिन्न चार्ट पोस्टर का प्रस्तुतीकरण स्टॉल तथा रोजगार गारंटी गीतों का प्रस्तुतीकरण किया गया ।
- गॉव के मुख्य जगहों पर पोस्टर चिपकाये गये तथा नारे लिखे गये ।
- जॉब कार्ड का अवलोकन किया गया।
- रैली पुरे गॉव का भ्रमण करने के पश्चात एक सभा के रूप में बदल गई, जहॉ रोजगार गारंटी कानून के बारे में , इस कानून के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओ ,ग्राम सभा तथा लोगों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, हितग्राहियों से चर्चा के दौरान उनकी समस्याओं तथा उसके समाधानों पर चर्चा की गई।
- लोगों से चर्चा करने के दौरान फार्मेट भी भरे गये।

आम सभा में निकले मुद्दे :

- ग्राम वासियों द्वारा आवेदन 15 दिन का लगाया गया था जिसमें उन्हें दस दिन का काम मिला यह जानकारी जशवंता कांवरे द्वारा दी गई,
- मजदुरी 63 रू दिन के हिसाब से मिलती है यह लीला बाई द्वारा हमको बताया गया,
- बेरोजगारी भत्ता एवं कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ग्रामिणेां को नही थी,
- ग्राम के बाहर मोहगॉव जो कि जत्ता टोला से 10 कि मी दुर है वहॉ कुछ हितग्राही काम करने गये जिनको मजदूरी 63 रू के हिसाब से दी गई ये कार्य पी डब्ल्यू डी द्वारा कराया जा रहा था । जिसमें तहसीलदार मोहगॉव द्वारा बोला गया कि आप जॉब कार्ड लेकर आइये एवं हमारा जॉब कार्ड भरा गया यह जानकारी सोनकुवर बाई ने दी,
- तलाब जहॉ काम चल रहा है वहॉ पर जानकारी हेतू बोर्ड लगा है।

परिणाम :

- लोगों को रोजगार गारंटी कानून के विषय में विस्तार से जानकारी मिली
- ग्राम सभा 14 तारिख को बैठाने को कहा गया यह बात महिलाओं ने कहा।

दिनांक : 25/03/07

स्थान : मेंडकी

प्रारंभ : रोजगार गारंटी योजना क्या है ग्रामीणों के क्या अधिकार हैं वे कैसे रोजगार पा सकते है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन जन तक पहुॅचाने के लिए सीडीसी बालाघाट द्वारा विशेष अभियान 10 दिनों तक अलग अलग गॉव में चलाया जा रहा है इसी तारतम्य में आज दिनांक 25.3.07 को अभियान ग्राम मेंडकी के भ्रमण पर निकली।

सहयोग : स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्राम के गणमान्य नागरिक , तथा पेक्स टीम का सहयोग मिला, रैली के दौरान नारे , पोस्टर तथा ग्राम वासियों को अभियान रथ के साथ घूम घूमकर लोगों को एकत्र किया गया।

गतिविधियॉ :

- आज के इस अभियान के लिए पहले आफिस में बैठकर कार्ययोजना बनाई गई, सीडीसी के सभी सदस्य कार्यालय से ग्राम मेंडकी की ओर रवाना हुए, मेंडकी पहुँचने पर गॉव के लोगों द्वारा रैली का स्वागत किया गया।
- जो हितग्राही कार्यस्थल पर कार्य कर रहे थे उन्हे इकठ्ठा कर रोजगार गारटी कानून के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई । और उन्हे उनके अधिकारो को प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया । तथा उनके द्वारा किये गये प्रश्नों और समस्याओं का यथासंभव समाधान बताया गया । साथ ही वहॉ फारमेट भी भरे गये ।
- सभी उपस्थित हितग्राहियो के जॉब कार्ड की स्थिती की जॉच की गई ।
- सहयोग द्वारा बैठक के दौरान चर्चा करते हुए सारे फार्मेट भरे गये ।
- रैली के दौरान माईक और गीतों द्वारा रोजगार गारंटी कानून की जानकारी दी जा रही थी ।
- अभियान के दौरान लोगों से गृहभेंट करके उन्हे पर्चे बांटे गये और गॉव के मुख्य जगहों पर पोस्टर चिपकाये और नारे लिखे गये ।
- रोजगार के लिए आवेदन कैसे करे उन्हे आवेदन का प्रारूप बताकर उन्हे बताया गया । यदि पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही होती तो सीईओ या जिला पंचायत में आवेदन लगाने की जानकारी दी गई ।
- जिन्होने पहले कार्य किया है उन्हे इसकी पूर्ण जानकारी दी गई एवं इसको पंचायत का काम नही बल्कि कानून बताया गया ।
- बेरोजगारी भत्ता के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि भत्ता कितने दिनों बाद मिलता है और इसे आवेदन देकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है ं।

अनुभव :

समुदाय से बातचीत करने के दौरान लोगों की कुछ समस्याओं से भी उन्होने अवगत कराया और अपने कुछ अनुभव हमें बताये जिसमें मुख्य बिंदु निम्न हैं

- ग्रामीणो ने बताया कि हमारी 15 दिन की मजदूरी 2 माह से नहीं मिली है
- रोजगार गारंटी कार्य 5 किमी से दूर करने गये परंतु अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ ।
- ग्रामीण जनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 5 किमी से अधिक दूरी पर जाने पर अतिरिक्त मजदूरी मिलती है ।
- आवेदन करने पर पावती जॉब कार्ड में अंकित नहीं किया जा रहा था।
- मनीषा परते द्वारा जानकारी दी गई कि हम कितनी ही दूर पर कार्य करे उतना ही दूर फेंकना पडेगा।
- ग्राम सभा में जाकर रोजगार संबंधी मुद्दो पर चर्चा करवाने के लिए कहा गया।
- 15 दिनों तक मजदूरी न मिलने के कारण मजदूरी पर ब्याज लेने के लिए ग्राम सभा में चर्चा करने के लिए कहा गया, रोजगार लाने के लिए कलेक्टर एस डी एम , सीईओ , जनपद पंचायत को आवेदन करने की बात कही गई। सचिव द्वारा कहा जा रहा है कि रोजगार गांरटी के अंतर्गत पूर्व में कराये गये कार्य की मजदूरी

दिनांक : 26/03/07

स्थान : नेवरगॉव

प्रारंभ : आज दिनांक 26,3,07 को ग्राम पंचायत नेवरगॉव में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा का आयोजन सी डी सी बालाघाट द्वारा किया गया। सबसे पहले संपूर्ण गॉव में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा रैली का भ्रमण किया गया , दिवारों पर पोस्टर और नारे लेखन किया गया इसके साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा गॉव के लगभग सभी घरों में जाकर गृहभेंट कर पर्चा बाटा गया साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये। इस दौरान लाउडस्पीकर के जरीये रोजगार गारंटी संबंधी गीत सुनाये गये। गॉव के भ्रमण पश्चात सभी लोगों को स्कूल के सामने एकत्र कर टीम के सभी सदस्यों द्वारा बारी बारी से रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी दी गई।

सहयोग : आज के इस अभियान के दौरान पेक्स की टीम स्व सहायता समूह की महिलाये व आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा गॉव के लगभग सभी महिला पुरूषों का सराहनीय सहयोग रहा ।

गतिविधियॉ :

- सर्वप्रथम स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रथ की आरती उतारकर सभी सदस्यों को तिलक लगाकर किया गया।
- दिवारों पर पोस्टर और नारे लेखन किया गया।
- बैठक के दौरान व्यक्तिगत ,सामुहिक और सरपंच सचिव वाले प्रपत्र भरे गयें ।
- जॉब कार्ड की जॉच की गई ।
- समुदाय के एकत्रित होने के पश्चात उन्हे रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी दी गई कि वे कैसे आवेदन करे , बेरोजगारी भत्ता कैसे प्राप्त करें , और कानून में क्या क्या प्रावधान है।
- रोजगार गांरटी को सशक्त बनाने के लिए तथा अपने अधिकारो का उपयोग करने के लिए ग्राम सभा की महत्ता को लेकर ग्राम सभा के विषय में जानकारी दी गई।

समस्याएँ :

- आवेदन लगाने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है ।
- 2006 में पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य रोजगार गारंटी के अंतर्गत नही किया गया।
- अधिकांश जाब कार्ड धारियों को सडक निर्माण कार्य में काम नही दिया गया। समुदाय की शिकायत है कि सिर्फ उन्हे ही काम दिया जाता है जिन्हे वे अच्छी तरह पहचानते है, और **काम में मशीन का प्रयोग** किया गया।
- कार्य स्थल पर मिलने वाली सुविधा जैसे प्राथमिक स्वास्थ सेवा , गर्भवती महिलाओं को दो दिन का आराम , कार्य की संपूर्ण जानकारी वाला बोर्ड का अभाव था , कार्य स्थल पर मस्टर रोल नही भरा जा रहा था एक कच्ची कापी में हाजरी लेते थे।
- लोगों में इस कानून को लेकर समझ कम थी , उन्हें बीमा योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, अपने अधिकारों के प्रति समझ कम थी।
- जॉब कार्ड में आवेदन पत्र का कोई उल्लेख नही किया गया था , पंचायत में आवेदन पत्र देने के बाद हितग्राहियों को पावति नही दी जाती थी ।
- विकलांगो को काम नही दिया गया, निगरानी समिती नही बनाई गई थी ।
- सुशिला बाई के अनुसार उसे पुरे वर्ष के दौरान एक माह का काम ही मिला, जाब कार्ड में 368 रू, लिखा गया था जबकि उसे 350 रूपये दिये गये । अर्थात 61 रू के हिसाब से मजदूरी दी गई थी ।
- सभी मजदूरो की 3 दिन की मजदूरी बाकी थी । खुसवन्ती बाई 9 दिन काम पर गई जिसे मजदूरी 350 रूप्ये ही मिला । बाकी के पैसे बार बार मॉगने पर भी नही मिला , सरपंच सचिव टाल मटोल कर रहे है ।
- बेलन सिंग के अनुसार पंचायत द्वारा अगर गरीबी रेखा में नाम नही है तो उनके खेत में डबरा डाबरी का निर्माण नही होगा ।

परिणाम :

- सी डी सी सदस्यों द्वारा जानकारी देने पर ग्राम के लोगों द्वारा निगरानी समिति बनाई गई ।
- ग्राम में ग्राम सभा आयोजित करवाने का निर्णय।
- रोजगार के लिए आवेदन लगाने का निर्णय गॉव के लोगों द्वारा लिया गया । आवेदन को पंचायत , जनपद , तथा जिला पंचायत में लगाने की समझ बनी ।
- मजदूरी के भुगतान के लिए पैसा नहीं है ।

<u>दिनांक</u> : 27 / 03 / 07

स्थान : पिपरिया

प्रारंभ : आज दिनांक 27.3.07को ग्राम पंचायत पिपरिया में रोजगार गारंटी योजना संवाद यात्रा रैली का आयोजन सीडीसी बालाधाट द्वारा किया गया । इसमें यात्रा की शुरूआत 1 बजे से हुई, उससे पहले आफिस में कार्ययोजना बनाई गई एवं उसके बाद सायकल रैली द्वारा पिपरिया की ओर प्रस्थान किया गया तथा कार्ययोजना के अनुसार ही दिन भर की प्रक्रिया हुई ।

सहयोग :– स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्राम के गणमान्य नागरिक तथा पेक्स टीम का सहयोग मिला, रैली के दौरान नारे , पोस्टर तथा ग्राम वासियों को सायकल रैली द्वारा घूम घूमकर लोगों को एकत्र किया गया । इससे फीड बैक मिला की लगभग 25–30 महिलाए एवं लगभग 35 –40 पुरूष एकत्र हुए।

गतिविधियॉ :

- सर्वप्रथम साइकिल रैली द्वारा गॉव में जाकर लाउडस्पीकर द्वारा योजना के नारे एवं उसकी जानकारी दी गई।
- सहयोग द्वारा बैठक के दौरान चर्चा करते हुए सारे फार्मेट भरे गये।
- जो हितग्राही कार्यस्थल पर कार्य कर रहे थे उन्हे इकठ्ठा कर रोजगार गारटी कानून के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, और उन्हे उनके अधिकारो को प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, तथा उनके द्वारा किये गये प्रश्नों और समस्याओं का यथासंभव समाधान बताया गया, साथ ही वहॉ फारमेट भी भरे गये।
- सभी उपस्थित हितग्राहियो के जॉब कार्ड की स्थिती की जॉच की गई।
- कार्य स्थल से आने के पश्चात पूरे हीरापुर ग्राम का रैली बनाकर भ्रमण किया गया जिसमें वहॉ के वासी भी सम्मिलित हुए।
- रैली के दौरान माईक और गीतों द्वारा रोजगार गारंटी कानून की जानकारी दी जा रही थी ।
- अभियान के दौरान लोगों से गृहभेंट करके उन्हे पर्चे बांटे गये और गॉव के मुख्य जगहों पर पोस्टर चिपकाये और नारे लिखे गये ।
- रोजगार के लिए आवेदन कैसे करे उन्हे आवेदन का प्रारूप बताकर उन्हे बताया गया, यदि पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही होती तो सीईओ या जिला पंचायत में आवेदन लगाने की जानकारी दी गई ।
- जिन्होने पहले कार्य किया है उन्हे इसकी पूर्ण जानकारी दी गई एवं इसको पंचायत का काम नही बल्कि कानून बताया गया ।
- बेरोजगारी भत्ता के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि भत्ता कितने दिनों बाद मिलता है और इसे आवेदन देकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है ।

अनुभव :

समुदाय से बातचीत करने के दौरान लोगों की कुछ समस्याओं से भी उन्होने अवगत कराया और अपने कुछ अनुभव हमें बताये जिसमें मुख्य बिंदु निम्न हैं –

- बच्चो वाली महिलाओं को काम पर नहीं लिया जाता ।
- पंचायत में लगभग एक साल से काम नही निकला और पंचायत में बोलने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।
- ग्प्रम पिपरिया के निवासी सुंदरलाल के द्वारा कहा गया की आवेदन देने पर भी सीईओ से मिलने पर भी सीईओ ने कहा की वह आऐगे और वह अभी तक नहीं आए।
- जॉब कार्ड में आवेदन और रोजगार की मॉग का विवरण नही भरा गया।
- गॉव की ही जुग्गो बाई 60 वर्ष को यह कहकर काम में नहीं रखा गया कि वह बुजुर्ग है इतने बुजुर्ग को काम नही दिया जा सकता।
- इस योजना के तहत अभी तक पंचायत में कितना पैसा आया और कितने का काम हो चुका है यह गॉव के लोंगों को नहीं मालूम था।
- मंजु बाई को जिसे काम करते समय चोट लग गई और वहॉ प्राथमिक उपचार के कोई साधन नही था दवाई की सुविधा नहीं थी उसने अपने पैसों से ही उपचार करवाना पडा।
- ग्राम सभा में मुनादी द्वारा ग्राम सभा की जानकारी दी जाती है परंतु कोई भी महिला पुरूष नही पहॅुचते यह वहॉ के पंचो द्वारा बताया गया।
- कार्य स्थल पर बोर्ड नही लगवाया गया था।

परिणाम :

- साइकिल रैली द्वारा जानकारी देने पर महिलाएं व पुरूष जॉब कार्ड लेकर एकत्र हुए।
- ग्राम में ग्राम सभा में उपस्थित होने को बताया गया, और उन्हे ग्राम सभा के बारे में बताया गया तो वे लोंगों के सकारात्मक फीड बैक आये।

- रोजगार तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन लगाने का निर्णय ग्राम वासियों द्वारा ली गई।
- निगरानी समिती न होने के कारण मजदूरी सही तरीके से नहीं मिल पा रही थी इसलिए लोगों ने निगरानी समिती बनाने का निर्णय लिया गया।

समस्या एवं चुनौती :

जब किसी एक को काम मिलता है तो उसी परिवार के दूसरे लोगों को काम नही दिया जाता है, पोस्टकार्ड द्वारा कलेक्टर को आवेदन करने की बात कही गई ।

दिनांक : 26/03/07

स्थान : गोहारा

प्रारंभ : आज दिनांक 28,3,07 को ग्राम पंचायत गोहारा में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा का आयोजन सी डी सी बालाघाट द्वारा किया गया। सबसे पहले संपूर्ण गॉव में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा साईकिल रैली के माध्यम से भ्रमण किया गया , दिवारों पर पोस्टर और नारे लेखन किया गया इसके साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा गॉव के लगभग सभी घरों में जाकर गृहभेंट कर पर्चा बाटा गया साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये । इस दौरान लाउडस्पीकर के जरीये रोजगार गारंटी संबंधी गीत सुनाये गये, गॉव के भ्रमण पश्चात सभी लोगों को गॉव के पवित्र मंदिर वाले चौक में एकत्र कर टीम के सभी सदस्यों द्वारा बारी बारी से रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी दी गई।

सहयोग : आज के इस अभियान के दौरान पेक्स की टीम , स्व सहायता समूह की महिलाये व तथा गॉव के लगभग सभी महिला पुरूषों का सराहनिय सहयोग रहा।

गतिविधियॉ :

- सर्वप्रथम स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रथ की आरती उतारकर सभी सदस्यों को तिलक लगाकर किया गया ।
- दिवारों पर पोस्टर और नारे लेखन किया गया ।
- बैठक के दौरान व्यक्तिगत , सामुहिक और सरपंच सचिव वाले प्रपत्र भरे गयें ।
- जॉब कार्ड की जॉच की गई ।
- समुदाय के एकत्रित होने के पश्चात उन्हे रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी दी गई कि वे कैसे आवेदन करे ,बेरोजगारी भत्ता कैसे प्राप्त करें और कानून में क्या क्या प्रावधान है।
- रोजगार गांरटी को सशक्त बनाने के लिए तथा अपने अधिकारो का उपयोग करने के लिए ग्राम सभा की महत्ता को लेकर ग्राम सभा के विषय में जानकारी दी गई।

समस्याएँ :

- समूदाय के साथ बात करने पर मंशाराम उईके द्वारा बताया गया कि भुगतान के समय मस्टरोल भरा जा रहा था ।
- फूलन सिंह मड़ावी जानना चाह रहे थे कि कठोर भूमि पर मजदूरी की दर क्या होगी?खंती की दूरी अधिक होगी इस पर उसकी मजदूरी क्या होगी ?

आयोजन के दौरान समूदाय के एकत्रीकरण में समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि इस दौरान नवारात्र पर्व के चलते नवमी कार्यक्रम स्थानीय परंपरा के अनुसार बड़े ही धूम – धाम से मनाया जा रहा था । इस पर लोगो की उपस्थिती अधिक नही हो पाई ।

<u>दिनांक :</u> 29/03/07

स्थान : आमगॉव

प्रारंभ : आज दिनांक 29,3,07 को ग्राम पंचायत आमगॉव में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा साइकिल के माध्यम से रैली का आयोजन सी डी सी बालाघाट द्वारा किया गया। सबसे पहले संपूर्ण गॉव में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा रैली का भ्रमण किया गया , दिवारों पर पोस्टर और नारे लेखन किया गया इसके साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा गॉव के लगभग सभी घरों में जाकर गृहभेंट कर पर्चा बाटा गया साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये, इस दौरान लाउडस्पीकर के जरीये रोजगार गारंटी संबंधी गीत सुनाये गये। गॉव के भ्रमण पश्चात सभी लोगों को गॉव के हृदय स्थल पंचायत के सामने एकत्र कर टीम के सभी सदस्यों द्वारा बारी बारी से रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी दी गई, इस जनसभा में सरपंच और सचिव भी उपस्थित हुए और लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया।

सहयोग : आज के इस अभियान के दौरान पेक्स की टीम, स्व सहायता समूह की महिलाये व आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा गॉव के लगभग सभी महिला पुरूषों का सराहनीय सहयोग रहा।

गतिविधियॉ :

- अभियान की पूर्व तैयारी सीडीसी आफिस में नियोजित की गई और उसी योजना के अनुसार टीम के सभी सदस्य मिलकर साईकिल द्वारा आमगॉव की ओर प्रस्थान किए
- आमगॉव पहुॅचने के पश्चात अभियान रथ के साथ सभी साईकिल के द्वारा अलग अलग टीम में बटकर लोगों से गृहभेंट कर पॉम्प्लेट बाटे गये और गॉव के मुख्य स्थलों पर नारे लेखन और पोस्टर चिपकाये गये।

- ग्राम पंचायत के सामने रोगायो से संबंधित स्टॉल भी लगाया गया जिसके सामने सभी को एकत्र होने के लिए कहा गया।
- बैठक के दौरान व्यक्तिगत, सामुहिक और सरपंच सचिव वाले प्रपत्र भरे गयें।
- जॉब कार्ड की जॉच की गई।
- समुदाय के एकत्रित होने के पश्चात उन्हे रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी दी गई कि वे कैसे आवेदन करे , बेरोजगारी भत्ता कैसे प्राप्त करें , और कानून में क्या क्या प्रावधान है।
- रोजगार गांरटी को सशक्त बनाने के लिए तथा अपने अधिकारो का उपयोग करने के लिए ग्राम सभा की महत्ता को लेकर ग्राम सभा के विषय में जानकारी दी गई। इसमें गॉव के सरपंच और सचिव ने भी आव्हान किया।

समस्याएॅ :

- आवेदन लगाने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है।
- कुछ समय पहले हुए रोगायो के अंतर्गत कार्य का भुगतान कुछ लोगो को नही हुआ था ।
- कुछ जाब कार्ड धारीयों को सडक निर्माण कार्य में काम नही दिया गया । समुदाय की शिकायत है कि सिर्फ उन्हे ही काम दिया जाता है जिन्हे वे अच्छी तरह पहचानते है ।
- कार्य स्थल पर मिलने वाली सुविधा जैसे प्राथमिक स्वास्थ सेवा , गर्भवती महिलाओं को दो दिन का आराम , कार्य स्थल पर मस्टर रोल नही भरा जा रहा था एक कच्ची कापी में हाजरी लेते थे ।
- लोगों में इस कानून को लेकर समझ कम थी , उन्हें बीमा योजना के बारे में जानकारी नहीं थी । अपने अधिकारों के प्रति समझ कम थी ।
- जॉब कार्ड में आवेदन पत्र का कोई उल्लेख नही किया गया था , पंचायत में आवेदन पत्र देने के बाद हितग्राहियों को पावति नही दी जाती थी ।
- लगातार काम नहीं मिलता और काम अधूरे रहते है ।

- 65 साल वाले को काम पर नहीं रखा गया जबकी उसने काम की मॉग की थी ।
- निगरानी समिती सक्रिय नही थी ।

परिणाम :

- समुदायिक बैठक में यह निकलकर आया था कि पिछले तीन माह की मजदूरी लोगों को नहीं मिली है सचिव से समुदाय के इस प्रश्न का जवाब देते हुए समुदाय से ये वादा किया कि तीन दिन के भीतर सभी को रूका हुआ भुगतान मिल जाएगा।
- ग्राम में 14 तारिख को रोजगार को लेकर ग्राम सभा करवाने का निर्णय सचिव की उपस्थिती और उसकी सहमती में लिया गया ।
- रोजगार के लिए आवेदन लगाने का निर्णय गॉव के लोगों द्वारा लिया गया, आवेदन को पंचायत , जनपद , तथा जिला पंचायत में लगाने की समझ बनी।
- लोगों को रोजगार गारंटी के बारे में विस्तार से जानकारी मिली और व अपने अधिकारों के प्रति पंचायत के सामने सजग हुए, उन्हें हमारे द्वारा सूचना के अधिकार के बारे में भी जानकारी मिली।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु पहल :

आमगॉव में इस अभियान के तहत किये गये कार्यक्रम ने सामाजिक अंकेक्षण की दिशा में पहल की क्योंकि कार्यक्रम से एक ऐसा माहौल और व्यवस्थाएं बनी जिसमें क्रियांवयन संस्था अर्थात पंचायत के प्रतिनिधि एक पक्ष और समुदाय दूसरा पक्ष। दोनों पक्षों ने आमने सामने बैठ कर बात की आरोप प्रत्यारोप भी हुए, तनाव पूर्ण स्थिति भी बनी पर अंततः जिम्मेदार लोगों ने माना कि कमियॉ हुई हैं और उनका सुधार किया जावेगा। एक तरह से यह स्वाभाविक प्रक्रिया हुई जो कि प्रत्येक गॉव में होना चाहिए। इससे बेहतर और क्या सामाजिक अंकेक्षण हो सकता है, जिसमें खुलकर बातें हुईं।

स्थान : **पोला पटपरी**

<u>**दिनांक**</u> : **30/03/07**

प्रारंभ : आज दिनांक 30,3,07 को ग्राम पंचायत किनारदा के पोला पटपरी टोले में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा साइकिल के माध्यम से रैली का आयोजन सी डी सी बालाघाट द्वारा किया गया। सबसे पहले संपूर्ण गॉव में रोजगार गारंटी संवाद यात्रा रैली का भ्रमण किया गया , दिवारों पर पोस्टर और नारे लेखन किया गया इसके साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा गॉव के लगभग सभी घरों में जाकर गृहभेंट कर पर्चा बाटा गया साथ ही रैली के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये। इस दौरान लाउडस्पीकर के जरीये रोजगार गारंटी संबंधी गीत सुनाये गये। गॉव में जाकर जानकारी मिली की हर्राटोला में 370 बैगा हितग्राही रोगायो के कार्य में लगे है अतः टीम दो भागों में बट गई। एक टीम हर्राटोला गई और दूसरी टीम पोला पटपरी का भ्रमण कर वहॉ रोगायो के बारे में जानकारी दे रहे थे। गॉव के भ्रमण पश्चात सभी लोगों को गॉव के हृदय स्थल आंगनवाडी में एकत्र कर टीम के सभी सदस्यों द्वारा बारी बारी से रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी दी गई।

सहयोग : आज के इस अभियान के दौरान पेक्स की टीम , स्व सहायता समूह की महिलाये व आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा गॉव के लगभग सभी महिला पुरूषों का सराहनिय सहयोग रहा ।

गतिविधियॉ :

- अभियान की पूर्व तैयारी सीडीसी आफिस में नियोजित की गई और उसी योजना के अनुसार टीम के सभी सदस्य मिलकर साईकिल द्वारा पोला पटपरी की ओर प्रस्थान किए।
- पोलापटपरी पहॅुचने के पश्चात अभियान रथ के साथ सभी साईकिल के द्वारा अलग अलग टीम में बंट गये एक टीम गॉव में लोगों से गृहभेंट कर पॉम्लेट बाटे गये और गॉव के मुख्य स्थलों पर नारे लेखन और पोस्टर चिपकाये गये ।तथा दुसरी टीम हर्राटोला की ओर रवाना हुई जहॉ 370 बैगा लोग रोगायो के अंतर्गत काम कर रहे थे। वहॉ जाकर ग्राम

कंदई के सरपंच से बातचीत की और काम कर रहे सभी हितग्राही की एक सामुदायिक बैठक लेकर रोगायो के विषय में विस्तार से बताया गया और उनके सवालों का जवाब दिया गया।

- बैठक के दौरान व्यक्तिगत, सामुहिक और सरपंच सचिव वाले प्रपत्र भरे गयें।
- जॉब कार्ड की जॉच की गई।
- समुदाय के एकत्रित होने के पश्चात उन्हे रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानकारी दी गई कि वे कैसे आवेदन करे ,बेरोजगारी भत्ता कैसे प्राप्त करें और कानून में क्या क्या प्रावधान है।
- रोजगार गांरटी को सशक्त बनाने के लिए तथा अपने अधिकारो का उपयोग करने के लिए ग्राम सभा की महत्ता को लेकर ग्राम सभा के विषय में जानकारी दी गई इसमें गॉव के सरपंच और सचिव ने भी आव्हान किया।

समस्याएँ :

- आवेदन लगाने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है।
- कुछ समय पहले हुए रोगायो के अंतर्गत कार्य का भुगतान कुछ लोगो को नही हुआ था।
- कुछ जाब कार्ड धारीयों को सडक निर्माण कार्य में काम नही दिया गया। समुदाय की शिकायत है कि सिर्फ उन्हे ही काम दिया जाता है जिन्हे वे अच्छी तरह पहचानते है।
- कार्य स्थल पर मिलने वाली सुविधा जैसे प्राथमिक स्वास्थ सेवा, गर्भवती महिलाओं को दो दिन का आराम , कार्य स्थल पर मस्टर रोल नही भरा जा रहा था एक कच्ची कापी में हाजरी लेते थे।
- लोगों में इस कानून को लेकर समझ कम थी , उन्हें बीमा योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, अपने अधिकारों के प्रति समझ कम थी।
- जॉब कार्ड में आवेदन पत्र का कोई उल्लेख नही किया गया था , पंचायत में आवेदन पत्र देने के बाद हितग्राहियों को पावति नही दी जाती थी।

- लगातार काम नहीं मिलता और काम अधूरे रहते है।
- 65 साल वाले को काम पर नहीं रखा गया जबकी उसने काम की मॉग की थी।
- निगरानी समिती सक्रिय नही थी।

परिणाम :

- उपस्थित सभी महिलाओं द्वारा निर्णय लिया गया कि भागवती बाई (पुजारन) के सानिध्य में उक्त मुद्दे की जानकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देंगे ।
- ग्राम में 14 तारीख को रोजगार को लेकर ग्राम सभा करवाने का निर्णय सचिव की उपस्थिती और उसकी सहमती में लिया गया ।
- रोजगार के लिए आवेदन लगाने का निर्णय गॉव के लोगों द्वारा लिया गया । आवेदन को पंचायत , जनपद , तथा जिला पंचायत में लगाने की समझ बनी ।
- लोगों को रोजगार गारंटी के बारे में विस्तार से जानकारी मिली और व अपने अधिकारों के प्रति पंचायत के सामने सजग हुए, उन्हें हमारे द्वारा सूचना के अधिकार के बारे में भी जानकारी मिली ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅारंटी संवाद यात्रा

हमारे देश की लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय रोजगार गॅारण्टी अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जिसमें ग्रामीण जनता को भूखमरी ,गरीबी, पलायन और शोषण पर प्रहार करने और अपना भविवष्य बदल सकने की सारी संभावनाओं को संबोधित करने का प्रयास है । ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक विकास को सुनिश्चित्त करने के मकसद से इस योजना को संचालित किया गया है, यह मात्र योजना नहीं वरन एक कानून है।

इस योजना की शुरूआत भारत के प्रधानमंत्री मान. श्री मनमोहन सिंह के द्वारा 2 फरवरी 2006को आंध्रप्रदेश के बांदला पाली अनंतपुर जिले से किया गया है । इस योजना के प्रथम चरण के तहत देश के पिछड़े हुये 200 जिलों को चिन्हित किया गया है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी इस कदम में एक और चरण बढ़ाकर इसे **म.प्र.ग्रामीण रोजगार गॅारण्टी कानून** के रूप में क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है। समूचे राज्यों में म.प्र. ही एक ऐसा राज्य है जिसने यथावत उपलब्ध राशि का उपयोग किया तथा इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित्त की है वर्तमान समय में यह योजना म.प्र. के 18 जिलों में संचालित है तथा आगामी समय में 13 जिलों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी क्रम में योजना के माध्यम से उन सभी पहलूओं पर ध्यान दिया गया है जिससे कि आम आदमी को वास्तविक रूप से इसका लाभ मिल सके । जैसे –

- योजना के दौरान पुरूषों के साथ – साथ महिलाओं की भी न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित्त की गई है।
- प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता शासन के द्वारा की गई है।
- विकलांग व्यक्ति (ऐसे जो कार्य करने में सक्षम है) उन्हें भी 7 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है।
- गर्भवती महिलाओं व शिशुवती महिलाओं को भी उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने की व्यवस्था है तथा उन्हें इसके अलावा काम के दौरान आराम की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
- योजना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रावधान के तहत की गई है –

- ✓ कार्य स्थल में पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना पंचायतों की मुख्य जवाबदेही होगी ,
- ✓ कार्य स्थल पर पर्याप्त छॉव की व्यवस्था करना पंचायतों की जवाबदेही है,
- ✓ कार्य स्थल पर प्रथमोपचार पेटी की व्यवस्था की जवाबदेही पंचायतों की होगी,
- ✓ कार्य स्थल पर ही प्रतिदिन मस्टरोल भरा जायेगा,
- ✓ आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में किये गये अथवा किये जा रहे कार्यों के वित्त व्यवस्थाओं को पारदर्शी रखना,
- ✓ काम नही मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाने की जवाब देही शासन की है,
- ✓ पंचायतों द्वारा कार्य स्थल पर भारी मशीनों का उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है,
- ✓ मजदूरी निर्धारित मानदण्ड को पूर्ण करने पर ही पूरी प्राप्त होगी।

जहॉ एक ओर शासन द्वारा अपने स्तर पर आम आदमी की आवश्यकताओं को इतनी सूक्षमता से ध्यान रखा गया है वहीं दूसरी ओर उनसे कुछ अपेक्षायें भी रखी गई हैं जैसे

- ➢ प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम सभा में जाकर गॉव के विकास के लिये कार्ययोजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना

- ➢ काम पाने के लिये प्रत्येक जॉब कार्ड धारी को आवेदन करना होगा । तथा 15 दिन के पश्चात पुनः आवेदन करना अनिवार्य है ।

- ➢ काम नही पाने की स्थिती में बेरोजगारी भत्ते के लिये पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा साथ ही अपनी उपस्थिती भी दर्ज करवाना होगा ।

- ➢ प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह सूचना के अधिकार के तहत सारी जानकारी अपनी संबंधित पंचायतों से ले सकता है ।

बालाघाट जिले में रोजगार गॉरण्टी योजना

बालाघाट जिला मध्यप्रदेश राज्य के दक्षिण – पूर्व में स्थित है, उड़ते हुये पक्षी की तरह दिखने वाले इस जिले की भौगोलिक स्थिती काफी असमान है लगभग 45 प्रतिशत वनों से घिरे इस जिले में मूख्यतःशाल,पलास,महुआ व एशिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध बेसकिमती बॉस उत्पादन होता है बालाघाटजिले के 10 विकासखण्डों में म.प्र.रोजगार गॉरण्टी योजना संचालित है जो क्रमशः है

जिला	विकासखण्ड
बालाघाट	वारासिवनी
	कटंगी
	लालबर्रा
	किरनापुर
	लॉजी
	बालाघाट
	खैरलॉजी
	बैहर
	बिरसा
	परसवाड़ा

जिस पर जिला पंचायत की निगरानी में जनपद पंचायतों के द्वारा प्रत्येक पंचायतों में इन कार्यक्रमों को विधिवत रूप से संचालित किया जा रहा है । मुख्यत : धान की फसल बहुतायत मात्राा में लगाई जाती है । वारासिवनी,कटंगी एवं बालाघाट में मुख्य मण्डियों के माध्यम से खरीद फरोख्त की जाती है । कुछ क्षेत्रा औद्योगिक हैं जहां टाईल्स,धान मिल एवं एशिया में प्रसिद्ध पोहा उद्योग इसी जिले में । खनिज एवं वन संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद इस जिले के पाकृतिक संसाधनों का नियोजित तरीके से दोहन नही हो पाने के कारण आज भी यहां के लोगों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत अत्यंत पिछड़ा हुआ है । जिले में 3 विकासखण्ड बैहर,बिरसा,परसवाड़ा आदीवासी बाहुल्य विकासखण्ड की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । साथ ही पॉचवी अनुसूची के तहत इन विकासखण्ड़ों को रखा गया है ।

बैहर विकासखण्ड के तहत 6 पंचायतों में संस्था कम्यूनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट द्वारा डी. एफ.आई.डी.सहायित पैक्स (**Poorest Area Civil Society**) कार्यक्रम के तहत (**Collective Action For Community Empowerment**) परियोजना संचालित है । जिसके तहत छः पंचायतों कार्य किया जा रहा है । इसी क्रम में परियोजना क्षेत्रा में रोजगार गॉरण्टी कार्यक्रम का प्रचार – प्रसार किया गया ।

परियोजना के माध्यम से स्वंय सहायता का गठन कर समूदाय के लोगों को आर्थिक,सामाजिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है । तथा बचत के साथ ही साथ महिलाओं को उनके विभिन्न अधिकारों के संदर्भ में जानकारी प्रदान कर उनमें सशक्तिकरण हेतु प्रयास जारी है । इसी क्रम में उन्हें रोजगार गॉरण्टी कार्यक्रम तथा इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित्त करने में महिलाओं को उनकी भूमिका की तथा काम के दौरान उपलब्ध होने वाली सुविधाओं एवं योजना के दौरान आ रही कठिनाईयों के मकसद से रोजगार गॉरण्टी जागरूकता संवाद यात्राा आस – पास की 10 पंचायतों में आयोजित की गई जिसमें संस्था प्रमुख के मार्गदर्शन में संस्था कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

जिले की स्थिती –

योजना के माध्यम से जिले की स्थिती कुछ इस तरह पाई गई :–

विवरण	संख्या
जॉब कार्ड का वितरण	31421
पंजिकृत परिवार	31422
पंजिकृत व्यक्ति	94554
काम के लिये प्राप्त आवेदनों की संख्या	134718
कार्य में महिलाओं की भागीदारी	45 प्रतिशत

- प्राप्त ओंकडे रोगायो. अभियान 7 से 9 जूलाई 2007 द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर
- प्राप्त आंकड़े जुलाई 2006 तक की स्थिती के हैं

भ्रमण के पश्चात प्रत्येक गॉव में कम से कम 4 से 5 लागों से मिलकर व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार कर उनसे योजना के संदर्भ में जानकारी ली गई

कुल भ्रमण केंदो की संख्या	साक्षात्कार हितगाहियों की जानकारी						
	महिला			पुरूष			कुल
10	एस.सी	एस.टी.	अन्य	एस.सी	एस.टी.	अन्य	42
	4	2	20	0	10	6	

व्यक्तिगत साक्षात्कार अनुभव

- अधिकांश हितग्राहियों को योजना के संदर्भ में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य है।
- महिलाओं को योजना के संदर्भ में जानकारी पुरूषों की अपेक्षा अधिक है।
- उपरोक्त जानकारी उन्हें संस्था के माध्यम से दिया गया है जिन्हें उनके द्वारा बताया गया है पंचायत के द्वारा भी कुद हद तक इसके प्रचार प्रसार में सहयोग किया गया है।
- शांति बाई (भण्डेरी) द्वारा बताया गया कि उन्हें यह जानकारी **सी.डी.सी.** संस्था के द्वारा बताया गया ।उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता का आवेदन करने के बाद भी उन्हें बेरोजगारी भत्ता पाप्त नही हुआ।
- सभावती (आमगॉव)द्वारा बताया गया कि जॉब कार्ड के फोटो के लिये उनसे 30 रूपये लिये गये हैं मौखिक चर्चा के आधार पर उन्होंने बताया कि उन्हें 6 दिन की मजदूरी अभी मिलना शेष है तथा 12 दिन का विवरण उनके जॉब कार्ड मे दर्शाना बाकि है। आवेदन करने की तिथि नही लिखी जाती है।
- चंद्रकला (शेरपार) द्वारा बताया गया कि पंचायत द्वारा स्वंय ही उनका पंजीयन कर दिया गया इसके लिये उन्हें प्रयास नही करना पड़ा, काम के पश्चात मस्टरोल बाद में भरा जाता है।

- यशवंता कावरे (जत्ता) द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने गॉव से 10 कि.मी. दूर मोहगॉव में काम किया किंतु उन्हें इसका अतिरिक्त पैसा नही दिया गया।
- पारबती (पटपरी) द्वारा बताया गया कि उनसे फोटो के लिये 20 रूपये लिये गये थे।
- कोती बाई,सनतो बाई (पटपरी) द्वारा बताया गया कि पहले कच्ची कॉपी में हाजिरी लिखी जाती है तथा भुगतान के दिन मस्टरोल में उनसे उस पर हस्ताक्षर करवाये जाते हैं।
- जुगो बाई (पिपरिया) द्वारा बताया गया कि काम मांगने पर भी काम नही मिलता है।
- रामकली बाई के द्वारा बताया गया कि उन्हें 1 माह से वेतन नही मिला है, तथा काम के दौरान हाजिरी नही भरी जाती है।
- अधिकांश लोगों को देरी से भुगतान को व्याज सहित दिया जाता है इसकी जानकारी ही नही थी अतः इस ओर उनके द्वारा कोई प्रयास नही किया गया।